

प्रेस नोट दिनांक 22.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 22.02.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.02.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सेंट जोसेफ विद्यालाय के पास बद ग्राम करीम नगर चौंसा (थाना कुण्डा) क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान 02 अदद प्लास्टिक की पिपिया में कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला महिला आरक्षी दीपांजलि गुप्ता HC शिशु पाल सिंह, चालक HC दीपक दुबे द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान, घटनास्थल सेंट जोसेफ विद्यालाय के पास बद ग्राम करीम नगर चौंसा से उक्त प्रकरण में अभियुक्ता अनीता सरोज पत्नी मुकेश सरोज नि० करीमगनगर चौंसा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष के विरुद्ध नाजायज शराब बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0स0 40/2026 व धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

इसी क्रम में घटनास्थल नहर के पास ब्रह्म ग्राम बहरिया थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ अभियुक्त 1. सुनीता देवी पत्नी रामनाथ निवासी ग्राम बहरिया थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष के विरुद्ध मु0अ0सं0 41/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला महिला आरक्षी दीपांजलि गुप्ता हे0का0 शिशु पाल सिंह, चालक हे0का0 दीपक दुबे थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 22.02.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.02.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए भैरव बाबा मंदिर के पहले बृहद ग्राम गंगापुर (थाना

कुण्डा) क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान 03 अदद प्लास्टिक की पिपिया में कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 चरन सिंह मय हमराह, HC रमेश कुमार, कास्टेबल विशाल मौर्य, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, महिला आरक्षी पूजा यादव, चालक का० आशुतोष यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान, भैरव बाबा मंदिर के पहले बृहद ग्राम गंगापुर से उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण जगतपाल उर्फ पप्पू पुत्र ननकऊ निवासी ग्राम अचकवापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष के विरूद्ध 20 लीटर देशी नाजायज शराब बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0स0 42/2026 व धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

इसी क्रम में घटनास्थल काजीपुर गुलाम जाफर हुल्लापुर मोड़ के पास थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र रामनरेश निवासी हुल्लापुर काजीपुर गुलामजाफर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष व अभियुक्ता 2. प्रीती पत्नी राजभवन निवासी हुल्लापुर काजीपुर गुलामजाफर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष के विरूद्ध मु0अ0स0 43/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

पुलिस टीम-

उ0नि0 चरन सिंह मय हमराह, HC रमेश कुमार, कास्टेबल विशाल मौर्य, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, महिला आरक्षी पूजा यादव, चालक का० आशुतोष यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 22.02.2026

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमन अली पुत्र मो0 गुलसेर अली को किया गया गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिया भीखमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में

उ०नि० सचिन कुमार पटेल मय हमराह का० कैलाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा धारा 137(2)/61(2)/87/65 (1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त अमन अली पुत्र मो० गुलसेर अली नि०ग्राम उदईशाहपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत पुलिया भीखमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमन अली पुत्र मो० गुलसेर अली नि०ग्राम उदईशाहपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० सचिन कुमार पटेल मय हमराह का कैलाश यादव थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि०-22.02.2026

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अपहरण व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन शनिदेव धाम विश्वनाथगंज से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ०नि० राधेश्याम यादव मय उ०नि० मारकण्डेय सिंह यादव, म०आ० प्रियंका तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०स० 21/26 धारा 87/137 (2) बी०एन०एस० से संबंधित अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ छोटू पुत्र राम सुख उर्फ ननकू निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, व मु०अ०स० 22/26 धारा 87/137 (2)/61 (2) बी०एन०एस० व 3 (2)V SC/ST ACT थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त आदिल पुत्र स्व० हाकिम अली निवासी ग्राम मल्हूपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को रेलवे स्टेशन शनिदेव धाम विश्वनाथगंज गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रदीप कुमार उर्फ छोटू पुत्र राम सुख उर्फ ननकू निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

2.आदिल पुत्र स्व० हाकिम अली निवासी ग्राम मल्हूपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० राधेश्याम यादव मय उ०नि० मारकण्डेय सिंह यादव, म०आ० प्रियंका तिवारी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक-22.02.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 07 अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

थाना कुण्डा के उ०नि० राजकुमार मय हमराह द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 22.02.2026 को शांति भंग की आशंका में कुल 07 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई प्रथम पक्ष के 01. मीना देवी पत्नी शिव मूरती 35 वर्ष, 02.कविता पत्नी चन्देश 25 वर्ष, 03.शिव मूर्ती पुत्र हीरालाल निवासीगण समापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ व द्वितीय पक्ष के 01.अंजली पत्नी शिवकुमार 25 वर्ष, 02.सनी पत्नी अमृतलाल 50 वर्ष, 03.खुशबू पुत्री अमृतलाल 18 वर्ष, 04.फुलेश्वर सरोज पत्नी पवन 23 वर्ष निवासीगण समापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को अंतर्गत धारा 170/135/126 बीएनएसएस में चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम का विवरण —

उ०नि० राजकुमार मय हमराह म०का० प्रिया शुक्ला, म०का० अनुराधा सिंह, का० राम प्रताप सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 22.02.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा "अपहरण व हत्या" के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद-

थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी सफलता — अपहरण कर की गई योजनाबद्ध हत्या के प्रकरण में 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.12.2025 को वादिनी निवासी नई बाजार मजरे रहवई थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के अनुसार उनकी बेटी मोबाइल से रात्रि में बात कर रही थी आरोपीगण, वादिनी की बेटी को कार में बैठाकर ले गये। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0- 28/2026 धारा 87/352/351(3) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गए थे।

इसी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री वृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, महिला आरक्षी दीपांजली गुप्ता, का0 भूपेन्द्र, एजी चालक अभिमन्यु सिंह द्वारा विवेचना/पूछताछ के दौरान मु0अ0सं0- 28/2026 धारा 87/352/351 (3)/103 (1) 1338/3(5) बी0एन0एस0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1.सज्जन शुक्ला पुत्र प्रेमनरायन शुक्ला निवासी ताजुद्दीनपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, 02. श्रवण शुक्ला उर्फ कप्तान पुत्र दामोदार दास शुक्ला निवासी ग्राम ताजुद्दीनपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया है।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत मृतिका प्रिया जायसवाल की हत्या की गई। अभियुक्तगणों की निसानदेही पर मृतिका प्रिया जायसवाल के पहने हुए कपड़े एक अदद हरे रंग का टाप व एक काले रंग की लैंगी व एक अदद गुलाबी रंग का स्वैटर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 01.सज्जन शुक्ला पुत्र प्रेमनरायन शुक्ला निवासी ताजुद्दीनपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 02.श्रवण शुक्ला उर्फ कप्तान पुत्र दामोदार दास शुक्ला निवासी ग्राम ताजुद्दीनपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

- 01- घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह महिला आरक्षी अनुराधा सिंह, महिला आरक्षी दीपांजली गुप्ता, का0 भूपेन्द्र, एजी चालक अभिमन्यु सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।